प्रेषक, संख्या–3241/1–11–2015–5(जी)/2015

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 09 जून, 2015

विषयः– भूकम्प से हुई जनहानि तथा घायलों को राज्य सरकार की ओर स अतिरिक्त सहायता दिये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 25.04.2015 को घोषणा की गयी थी कि दिनांक 25 अप्रैल, 2015 को उत्तर प्रदेश में भूकम्प के कारण हुई मृत्यु की घटना में मृतक के आश्रित को रू0 7.00 लाख तथा गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को रू0 50.00 हजार एवं सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को रू0 20.00 हजार की धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी। इसमें भारत सरकार के मानक से अतिरिक्त धनराशि राज्य सरकार द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 25 अप्रैल, 2015 को उत्तर प्रदेश में भूकम्प से हुई जनहानि तथा घायल व्यक्तियों को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप निम्नलिखित विवरण के अनुसार सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

मद	भारत सरकार के मानक दिनांक 08.04.2015 द्वारा देय धनराशि	राज्य सरकार द्वारा अतिरिकत रूप से देय धनराशि	कुल धनराशि
1	2	3	4
मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को देय धनराशि	4.00 लाख	3.00 लाख	7.00 लाख
गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को देय धनराशि	12,700	37,300 (50,000–12,700)	50,000
सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को देय धनराशि	4,300	15,700 (20,000–4,300)	20,000

3– अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त विवरण के अनुसार भूकम्प से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को सहायता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1241 (1) तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

3– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0।

4– मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा प्रकोष्ठ को उनके पत्र दिनांक 28.04.2015 के कम में)।

5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5/वित्त (लेखा) अनुभाग–1।

6– राजस्व अनुभाग–10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव।